बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक
(प्रधान कार्यालय : अजमेर)
(www.brgb.co.in)

बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक, जो कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत स्थापित है तथा जिसकी अंश पूंजी भारत सरकार, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं राजस्थान सरकार के संयुक्त स्वामित्व में 50 : 35 : 15 के अनुपात में है, अधिकारी स्केल–I संवर्ग में भारतीय नागरिकों से एवं लिपिक सह रोकड़िया संवर्ग में राजस्थान के मूल निवासियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करता है।

पोस्ट कोड	पद	लिखित परीक्षा की तिथि
1	अधिकारी स्केल– I	21.02.2010
2	लिपिक सह–रोकड़िया	28.02.2010

01. रिक्तियों का विवरण

पोस्ट कोड	पदनाम	रिक्तियों की संख्या					जिनमें से
		अजा	अजजा	अपिव	सामान्य	योग	शारीरिक विकलांग
1	अधिकारी स्केल–।	5	3	9	17	34	1
2	लिपिक–सह–रोकड़िया	14	10	17	42	83	2

संक्षेपण : अजा : अनुसूचित जाति, अजजा : अनुसूचित जनजाति, अपिव : अन्य पिछड़ा वर्ग,

नोट :

(1) चूंकि विकलांग अभ्यार्थियों को आरक्षण क्षैतिज (हॉरिजॉन्टल) आधार पर उपलब्ध है अतः चयनित अभ्यार्थियों को समुचित श्रेणी में जिससे वे संबंधित है, यथा अजा., अजजा. अपिव. सामान्य श्रेणी में रखा जाएगा।

(2) रिक्तियों की संख्या तथा आरक्षित रिक्तियों की संख्या अनंतिम (Provisional) है एवं बैंक की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनीय है।

(3) यह स्पष्ट किया जाता है कि विकलांग अभ्यार्थियों को बैंक के सभी कार्यालयों/शाखाओं में पदस्थ किया जा सकना मुमकिन नहीं भी हो सकता है, अतः बैंक द्वारा उनके लिए उपयुक्त तौर पर चयनित कार्यालय/पदों पर पदस्थगी की जाएगी।

02. वेतनमान :

पद कोड – 01 : अधिकारी स्केल–।

रू.10000–470/6 – 12820–500/3 – 14320–560/7 – 18240

पद कोड – 02 : लिपिक सह–रोकड़िया

रू.4410–215/3 – 5055–335/3 – 6060–470/4 – 7940–500/3 – 9440–560/4 – 11680–970/1 – 12650–560/1 – 13210.

टिप्पणी : मंहगाई भत्ता, नगर प्रतिपूरक भत्ता, मकान किराया भत्ता और अन्य भत्ते बैंक के नियमानुसार देय होंगे। चिकित्सा सुविधा, एलटीसी/एलएफसी एवं सेवानिवृत्ति लाभ बैंक के नियमानुसार देय होंगे।

03. पात्रता मानदण्ड एवं सामान्य जानकारी :–

(अ) राष्ट्रीयता/नागरिकता :–

(i) उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए।

(ii) उम्मीदवार को स्थानीय भाषा यथा हिन्दी में दक्षता होनी चाहिए।

(ब) शैक्षणिक योग्यताएँ (01.10.2009 की स्थिति में)

पद कूट संख्या 01 :

(1) किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष। उम्मीदवार को स्थानीय भाषा यथा हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का भी अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है।

(2) कंप्यूटर का ज्ञान यथा विण्डोज, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग आदि वांछनीय।

(3) कम्प्यूटर / एकाउन्टिंग / प्रबंधन / इंजीनियरिंग / व्यावसायिक प्रशासन / कानून / कृषि / वेटरनरी साइंस / एमएससी कम्प्यूटर साइंस / एमसीए / चार्टर्ड एकाउण्टेंट आदि में उच्च योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

पद कूट संख्या 02 :

(1) (अ) किसी भी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या उसके समकक्ष अथवा

(ब) 10+2+3 पद्धति की उच्चतर माध्यमिक परीक्षा या 11+3 पद्धति की 11वीं कक्षा या इन्टरमीडिएट या कोई समकक्ष परीक्षा में कम से कम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण (अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 45%) अथवा

(स) केन्द्र/राज्य शासन या संघ शासित प्रदेश से मान्यता प्राप्त बैंकिंग का डिप्लोमा अथवा

(द) मैट्रिकुलेशन या सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट (पुरानी पद्धति) या समकक्ष में न्यूनतम 60% अंकों से उत्तीर्ण। (अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 55%)

(2) स्थानीय भाषा यथा हिन्दी में दक्षता आवश्यक है। अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को प्राथमिकता दी जाएगी।

(3) कम्प्यूटर का ज्ञान यथा विण्डोज, एमएस ऑफिस, नेटवर्किंग आदि वांछनीय।

(स) आयु सीमा : (दिनांक 01.10.2009 को)
अधिकारी एवं लिपिकीय दोनों संवर्ग हेतु : न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 26 वर्ष

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा में सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार निम्नानुसार छूट देय है :–

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार – 5 वर्ष
2. अन्य पिछड़ा वर्ग – 3 वर्ष
3. विकलांग (दृष्टिक्षीणता/श्रवण क्षीणता/अस्थि विकलांग) – 10 वर्ष
4. भूतपूर्व सैनिक – सैन्य सेवाकाल के अतिरिक्त अधिकतम 3 वर्ष किन्तु अधिकतम उम्र सीमा 50 वर्ष तक
5. विधवा, तलाकशुदा महिला एवं विधिक रूप से पति से पृथक महिला, जिन्होंने पुनर्विवाह न किया हो – 9 वर्ष (केवल लिपिक सह रोकड़िया पद हेतु)
6. ऐसे व्यक्ति जो 01–01–1980 से 31–12–1989 के मध्य जम्मू एवं कश्मीर राज्य के कश्मीर प्रभाग में निवासरत रहे हों – 5 वर्ष
7. 1984 के दंगों में मारे गये व्यक्ति के परिवार सदस्य/बच्चे – 5 वर्ष
   (इस श्रेणी के अन्तर्गत आयु सीमा में छूट हेतु उम्मीदवारों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वे 1984 के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत राहत पैकेज जो कि वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाओं के विभाग के पत्र क्रमांक एफ.नं. 9/21/2006–आईआर दिनांक 27.07.2007 द्वारा सूचित किया गया है, के अन्तर्गत राहत के पात्र हैं।)
8. सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप ऊपरी आयु सीमा में छूट संचयी आधार पर है।

(द) अक्षमता वाले व्यक्तियों के लिए आरक्षण :–

(अ) दृष्टिक्षीणता, श्रवण क्षीणता एवं अस्थि विकलांग की परिभाषाएं "The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995 में दिये अनुसार हैं।

निम्नलिखित अक्षमता वाले उम्मीदवार उक्त अधिनियम में दी गयी परिभाषाओं के अधीन आवेदन करने हेतु पात्र होंगे :–

दृष्टिहीनता, दृष्टि क्षीणता, श्रवण क्षीणता (बधिर), लोकोमोटर अक्षमता, सेरेब्रल पल्सी।

दृष्टिक्षीणता से ग्रसित उम्मीदवार एवं ऐसे उम्मीदवार जिनके लिखने की गति सेरेब्रल पल्सी के कारण प्रभावित हुई है, वे अपने स्वयं के खर्चे पर लिखित परीक्षा के दौरान स्क्राइब (लेखक) की सेवा ले सकते है। ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें लेखक का उपयोग किया जाता है, उनमें निम्नलिखित नियम लागू होंगे :–

(i) उम्मीदवार को अपने स्वयं के खर्चे पर अपने स्वयं के लेखक की व्यवस्था करनी होगी।

(ii) लेखक की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित पात्रता मानदण्ड से कम से कम एक श्रेणी कम होनी चाहिए।

(iii) लेखक के प्राप्तांक उसके स्वयं के शैक्षणिक स्ट्रीम में 60 प्रतिशत या कम होने चाहिए। लेखक किसी भी शैक्षणिक वर्ग (एकेडमिक स्ट्रीम) का हो सकता है।

(iv) उम्मीदवार एवं लेखक दोनों को पुष्टि करते हुए यह बचन पत्र देना होगा कि लेखक हेतु उपर्लिखित समस्त पात्रता मानदण्डों की पूर्ति लेखक करता है। इसके अतिरिक्त यदि भविष्य में यह तथ्य उजागर होता है कि लेखक निर्धारित पात्रता मानदण्डों में किसी एक की भी पूर्ति नहीं करता है या महत्वपूर्ण तथ्य छुपाए जाते हैं, तो लिखित परीक्षा का परिणाम चाहे जो भी रहे, उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।

(v) लेखक का उपयोग करने वाले उम्मीदवार को परीक्षा के प्रत्येक घंटे के लिए 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

(ब) यह स्पष्ट किया जाता है कि विकलांग अभ्यार्थियों को बैंक द्वारा उनके लिए उपयुक्त तौर पर चयनित शाखाओं/कार्यालयों में कार्य करना होगा।

04. डाक व्यय सहित प्रत्येक पद हेतु आवेदन शुल्क (अप्रतिदेय)

क्रम संख्या	संवर्ग	डाक व्यय	आवेदन शुल्क	कुल
1.	अजा/अजजा/विकलांग/भतपूर्व सैनिक	रू. 50/–	–	रू. 50/–
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग/सामान्य	रू. 50/–	रू.250/–	रू. 300/–

नोट :

1) डाक व्यय सहित आवेदन शुल्क ''बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक'' अथवा किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा जारी अजमेर में देय एक ही एकाउंट पेई रेखांकित डिमांड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक द्वारा प्रत्येक पद हेतु पृथक–पृथक निम्न नामों से देय होगा :–

''बीआरजीबी रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स प्रोजेक्ट, 2009'' – अधिकारी स्केल–I हेतु
''बीआरजीबी रिक्रूटमेंट क्लेरिकल प्रोजेक्ट, 2009'' – लिपिक सह–रोकड़िया हेतु

2) उम्मीदवारों को डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के पृष्ठ भाग में अपना नाम, जन्म दिनांक, निवासीय पता एवं आवेदित पद का उल्लेख करना होगा।
3) आवेदन शुल्क एवं डाक व्यय का नकद/चेक/मनीऑर्डर आदि से किए गए भुगतान को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
4) दोनों पदों हेतु आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को प्रत्येक पद हेतु वांछित आवेदन शुल्क/डाक व्यय सहित पृथक–पृथक आवेदन देने होगे।
5) एक बार आवेदन किये जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकेगा एवं आवेदन शुल्क और डाक व्यय किसी भी स्थिति में वापसी योग्य नहीं होगा और न ही इसे भविष्य में किसी भी चयन प्रक्रिया हेतु सुरक्षित रखा जाएगा।
6) बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चैक, इस विज्ञापन की तिथि या उसके बाद की तिथि का किन्तु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि या उससे पहले की दिनांक का होना चाहिए।

05 चयन प्रकिया :

चयन लिखित परीक्षा और इंटरव्यू में परफोरमेन्स के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा एवं इन्टरव्यू के विवरण निम्न प्रकार हैं :–

(अ) लिखित परीक्षा

<u>पद कूट संख्या 01 हेतु</u> :–

(1) जिन पात्र उम्मीदवारों के आवेदन पत्र नियत अवधि में एवं वांछित शुल्क सहित प्राप्त हो जाएँगे एवं जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में (1) तर्क शक्ति परीक्षा (रीजनिंग), (2) अंग्रेजी भाषा परीक्षा, (3) परिमाणात्मक अभिरूचि (क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड) परीक्षा एवं (4) सामान्य संचेतना (जनरल अवेयरनेस) परीक्षा सम्मिलित होंगे।

(2) वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक होंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(3) विवरणात्मक परीक्षा–उम्मीदवार के सामाजिक–आर्थिक विकास संबंधी ज्ञान एवं सम्प्रेषण कौशल को जांचने के लिए इस परीक्षा में पांच ऐच्छिक प्रश्न होंगे, जिनमें आन्तरिक विकल्प उपलब्ध होंगे। विवरणात्मक परीक्षा में प्राप्त अंक केवल क्वालीफाई करने के उद्देश्य से देखे जाएंगे, इनका कोई वेटेज नहीं होगा।

(4) उम्मीदवारों को परीक्षा प्रश्न–पत्र को हिन्दी या अंग्रेजी में संदर्भ करने का विकल्प होगा।

(5) रिक्तियों की संख्या के अनुसार साक्षात्कार हेतु केवल उन उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, जिनको लिखित परीक्षा में उच्च रैंक हासिल हो। मात्र पात्रता रखने/लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने से किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(6) अन्तिम चयन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर प्राप्त रैंकिंग के आधार पर किया जायेगा।

(7) लिखित परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी यथा–प्रश्नों की संख्या, समय अवधि आदि लिखित परीक्षा हेतु बुलावा पत्र के साथ प्रेषित की जाने वाली ''एक्वेन्ट योर सेल्फ'' नामक पुस्तिका में दी जाएगी।

पद कूट संख्या 02 हेतु :–

(1) जिन पात्र उम्मीदवारों के आवेदन पत्र नियत अवधि में एवं वांछित शुल्क सहित प्राप्त हो जाएँगे एवं जो पात्रता मानदण्ड पूरा करते हैं, उन्हें लिखित परीक्षा, जो कि वस्तुनिष्ठ एवं विवरणात्मक दोनों प्रकार की होगी, हेतु बुलाया जाएगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में (1) तर्क शक्ति परीक्षा (रीजनिंग), (2) अंग्रेजी भाषा परीक्षा, (3) अंक क्षमता (न्यूमेरिकल एबिलिटी) परीक्षा एवं (4) लिपिकीय अभिरूचि (क्लेरिकल एप्टीट्यूड) परीक्षा सम्मिलित होंगे।

(2) वस्तुनिष्ठ परीक्षा में गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक होंगे। उम्मीदवारों को प्रत्येक वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है।

(3) विवरणात्मक परीक्षा–उम्मीदवार के सामाजिक–आर्थिक विकास संबंधी ज्ञान एवं सम्प्रेषण कौशल को जांचने के लिए इस परीक्षा में पांच ऐच्छिक प्रश्न होंगे, जिनमें आन्तरिक विकल्प उपलब्ध होंगे। विवरणात्मक परीक्षा में प्राप्त अंक केवल क्वालीफाई करने के उद्देश्य से देखे जाएंगे, इनका कोई वेटेज नहीं होगा।

(4) उम्मीदवारों को परीक्षा प्रश्न–पत्र को हिन्दी या अंग्रेजी में संदर्भ करने का विकल्प होगा।

(5) रिक्तियों की संख्या के अनुसार साक्षात्कार हेतु केवल उन उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा, जिनको लिखित परीक्षा में उच्च रैंक हासिल हो। मात्र पात्रता रखने/लिखित परीक्षा उत्तीर्ण हो जाने से किसी उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

(6) अन्तिम चयन, लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों को जोड़कर प्राप्त रैंकिंग के आधार पर किया जायेगा।

(7) लिखित परीक्षा संबंधी विस्तृत जानकारी यथा–प्रश्नों की संख्या, समय अवधि आदि लिखित परीक्षा हेतु बुलावा पत्र के साथ प्रेषित की जाने वाली ''एक्वेन्ट योर सेल्फ'' नामक पुस्तिका में दी जाएगी।

लिखित परीक्षा निम्नलिखित केन्द्रों पर प्रस्तावित हैं तथा परीक्षा स्थल का पता लिखित परीक्षा हेतु बुलावा पत्र में सूचित किया जाएगा :–

अजमेर, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर और चूरू

नोट – आवेदन पत्रों की संख्या के अनुसार बैंक यह निर्णय कर सकता है, कि वह लिखित परीक्षा के लिए किसी केन्द्र को या तो निरस्त कर दे और / या नया केन्द्र जोड़ दे।

(ब) इन्टरव्यू

लिखित परीक्षा में बैंक द्वारा निर्धारित कट ऑफ मार्क्स के आधार पर मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों को इन्टरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा।

06. परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण (दोनों पदों हेतु)_
(केवल अजा/अजजा/विकलांग/अल्प संख्यक/ श्रेणी के उम्मीदवारों हेतु)

अजा/अजजा/विकलांग/अल्प संख्यक श्रेणी के सीमित उम्मीदवारों हेतु बैंक के विवेकाधिकार पर अजमेर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्रस्तावित है। जो पात्र उम्मीदवार परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे आवेदन पत्र में संबंधित कॉलम में इस आशय की जानकारी अवश्य भरें। **संबंधित प्रशिक्षण केन्द्र में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए यात्रा, रहने, खाने इत्यादि का व्यय उम्मीदवार को स्वयं वहन करना होगा।**

07. आवेदन कैसे करें :

(अ) इस विज्ञापन के अंत में दिए गए आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप पर पात्र उम्मीदवारों को आवेदन करना होगा, जो कि निर्धारित डाक व्यय एवं आवेदन शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक या उससे पहले पहुँच जाना चाहिए। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ब) यदि उम्मीदवार पात्र हैं और एक से अधिक पदों हेतु आवेदन करना चाहता है तो उसे ऐसे प्रत्येक पद हेतु, जिसके लिए वह आवेदन करना चाहता है, पृथक–पृथक आवेदन शुल्क सहित अलग आवेदन करना होगा।

(स) उम्मीदवार को आवेदन पत्र अपने स्वयं की लिखावट में बड़े अक्षरों में (कैपिटल लेटर्स) में भरना होगा।

(द) आवेदन ए.4 साईज के कागज में (11.69" X 8.27") पूर्णतः निर्धारित प्रारूप के अनुरूप होना चाहिए तथा उसमें किसी भी प्रकार का सुधार/बदलाव/ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।

(i) अजा / अजजा / विकलांग / भपूसै उम्मीदवारों के मामलों में जाति/जनजाति/सम्प्रदाय/विकलांगता/सैन्य सेवा प्रमाण पत्र

(ii) दसवीं कक्षा उत्तीर्णता प्रमाण पत्र/अंक सूची जिसमें जन्म दिनांक उल्लिखित हो

(iii) शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्रों की छाया प्रतियॉ (जेराक्स कॉपी)

(य) हर प्रकार से पूर्ण आवेदन को **मात्र साधारण डाक द्वारा** निम्नांकित पोस्ट बॉक्स संख्या में भेजा जाय।

क्र.सं.	पद	पता
1.	**अधिकारी स्केल–I**	**पोस्ट बॉक्स संख्या 7731, बोरीवली (पश्चिम), मुम्बई–400092**
2.	**लिपिक सह–रोकड़िया**	**पोस्ट बॉक्स संख्या 8591, कांदीवली (पूर्व), मुम्बई–400101**

(र) जिस लिफाफे में आवेदन प्रेषित किया जाए, उस लिफाफे पर **"अधिकारी स्केल–I या लिपिक–सह–रोकड़िया पद हेतु आवेदन"**, जैसी भी स्थिति हो, उल्लेख किया जाए।

08. महत्वपूर्ण सामान्य निर्देश :

1) डाक द्वारा आवेदन पत्र संप्रेषण प्राप्त होने में विलम्ब होने या गुम हो जाने की दशा में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।
2) उम्मीदवार द्वारा एक लिफाफे में केवल एक आवेदन ही भिजवाना चाहिए।
3) वे उम्मीदवार जो दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें प्रत्येक पद हेतु अलग आवेदन पत्र मय अलग फीस एवं दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के, अलग–अलग लिफाफे में भिजवाने चाहिए।
4) मात्र ऐसे ही उम्मीदवार आवेदन करें जो बैंक में कहीं भी सेवा करने के लिए इच्छुक हों।
5) किसी भी पद हेतु आवेदन करने के पूर्व, उम्मीदवार को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वह विज्ञापन में संबंधित पद हेतु दिए गए पात्रता एवं अन्य मानदण्डों को पूर्ण करता है। यदि उम्मीदवार आवेदित पद हेतु अयोग्य पाया जाता है, तो भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में आवेदन पत्र अस्वीकार करने हेतु बैंक स्वतंत्र होगा। पात्रता एवं अन्य मानदण्डों के संबंध में बैंक का निर्णय अंतिम होगा। उम्मीदवार की पात्रता, पात्रता संबंधी सभी मामलों की छानबीन, परीक्षा के आयोजन, साक्षात्कार, चयन हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले प्रलेख तथा भर्ती संबंधी कोई अन्य मामले सहित सभी मामलों में बैंक का निर्णय, अंतिम होगा तथा उम्मीदवार पर बंधनकारी होगा। इस संबंध में बैंक/आईबीपीएस किसी पत्राचार या वैयक्तिक पूछताछ को स्वीकार नहीं करेगा।
6) अजा/अजजा/अपिव/विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अजा/अजजा/अपिव/विकलांग प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करनी होंगी। अपिव के मामले में प्रमाण पत्र में यह स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए कि उम्मीदवार भारत सरकार की सेवा और सिविल सर्विसेज में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लाभ से अलग किए गए सम्पन्न वर्गो से संबंधित नहीं है। अपिव प्रमाण पत्र आवेदन की तिथि को एक वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
7) आवेदन पत्र किसी भी संदर्भ में अपूर्ण होने या जहॉ आवश्यक है, वहॉ संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न न होने या अपेक्षित फीस संलग्न न होने या निर्धारित प्रारूप में न होने अथवा उम्मीदवार के हस्ताक्षर नहीं होने पर, उस पर विचार नहीं किया जाएगा।

8) उम्मीदवार द्वारा पृथक से भेजे गए किसी प्रमाण पत्र/संप्रेषणों की जिम्मेदारी बैंक की नहीं होगी।
9) विकलांग उम्मीदवारों को आरक्षण/उम्र के संबध में छूट प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र के साथ अपने दावे संबंधी मेडिकल प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति "The Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights & Full Participation) Act, 1995 में निर्धारित अनुसार संलग्न करनी चाहिए।
10) उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा एवं इन्टरव्यू के लिए आबंटित केन्द्रों पर अपने स्वयं के खर्चे और जोखिम पर उपस्थित होना पड़ेगा तथा बैंक किसी भी प्रकार की चोट/नुकसान आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
11) बैंक अपने विवेकानुसार आवश्यकता पड़ने पर किसी केन्द्र/स्थान या उम्मीदवार के संबंध में पुनः परीक्षा आयोजित कर सकता है।
12) शासकीय या बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में सेवारत उम्मीदवारों को उचित माध्यम के मार्फत (थ्रू प्रोपर चैनल) आवेदन करना होगा। उपरोक्तानुसार उम्मीदवारों को इंटरव्यू के समय अपने नियोक्ता द्वारा जारी **"अनापत्ति प्रमाण पत्र"** प्रस्तुत करना होगा, जिसके अभाव में उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा। मूल डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक के साथ आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक आवेदन पत्र की अग्रिम प्रति उपरोक्त पते पर केवल साधारण डाक द्वारा (कूरियर/स्पीड़ पोस्ट/रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा नहीं) भेजी जा सकती है।
13) आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों की केवल प्रमाणित सत्य प्रतिलिपी ही उम्मीदवार भेजें। उम्मीदवारों को अपनी उम्मीदवारी के संबंध में शैक्षणिक योग्यता, आयु के प्रमाण, जाति के प्रमाण संबंधी आदि अपने सभी मूल प्रमाण पत्र/दस्तावेज इन्टरव्यू के समय प्रस्तुत करने होंगे, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है।
14) पते में परिवर्तन के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
15) आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार, सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध भी आवेदन कर सकते है।
16) लिखित परीक्षा के दौरान कैलकुलेटर,, सेलफोन, मोबाईल या ऐसे ही किसी प्रकार का कोई भी अन्य इलेक्ट्रोनिक उपकरण प्रयोग करने की अनुमति उम्मीदवारों को नहीं होगी।
17) आवेदन प्रपत्र में उम्मीदवार का वर्तमान समय का पासपोर्ट आकार का एक फोटोग्राफ अच्छी तरह से चिपका होना चाहिए तथा उस पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर होने चाहिए। बिना फोटोग्राफ एवं उस पर हस्ताक्षर के आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। इसी फोटोग्राफ की तीन प्रतियॉ लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के समय प्रयोग के लिए अपने पास सुरक्षित रखी जानी चाहिए। आवेदकों को सलाह दी जाती है, कि वे भर्ती प्रक्रिया पूरी होने तक अपने हुलिए (appearance) में बदलाव नहीं करें। लिखित परीक्षा/इन्टरव्यू के समय समान फोटोग्राफ की प्रति प्रस्तुत नहीं करने पर अयोग्य ठहराया जा सकता है।
18) किसी भी प्रकार की सिफारिश/अनुयाचन अयोग्यता मानी जाएगी।
19) इस विज्ञापन के कारण उपजे किसी विवाद का निराकरण अजमेर में स्थित न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र में होगा।

09 अजा/अजजा/अपिव/विकलांग प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम प्राधिकारी निम्नानुसार हैं :-

(अ) अजा/अजजा/अपिव वर्ग हेतु – जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/जिलाधीश/उप आयुक्त/अतिरिक्त उप आयुक्त/उप जिलाधीश/प्रथम श्रेणी वृतिक दण्डाधिकारी/उप संभाग दण्डाधिकारी/तालुका दण्डाधिकारी/कार्यकारी दण्डाधिकारी/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/प्रमुख प्रेसीडेन्सी दण्डाधिकारी/अतिरिक्त प्रमुख प्रेसीडेन्सी दण्डाधिकारी/प्रेसीडेन्सी दण्डाधिकारी/ राजस्व अधिकारी जो कि तहसीलदार की श्रेणी से नीचे का न हो/उस क्षेत्र का अनुविभागीय अधिकारी (एसडीओ) जहॉ उम्मीदवार और / या उसका परिवार समान्य रूप से निवास करता हो।

(ब) विकलांगों हेतु शारिरीक विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करने हेतु – केन्द्र या राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडीकल बोर्ड सक्षम प्राधिकारी होगा।
केन्द्र/राज्य सरकार कम से कम तीन सदस्यों वाले मेडीकल बोर्ड का गठन कर सकती है। जिसमें एक सदस्य चलने फिरने (लोकोमोटर्स /प्रमष्तिकीय (सेरेब्रल)/देखने (विजुअल) / सुनने (हिअरिंग)) की असक्षमता (जैसी भी स्थिति हो), निर्धारित करने के लिए संबंधित क्षेत्र का विशेषज्ञ होगा।

10. कदाचार का दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवार के विरूद्ध कार्यवाही :–

उम्मीदवारों को उनके स्वयं के हित में सलाह दी जाती है कि आवेदन पत्र भरते समय किसी महत्वपूर्ण जानकारी को न तो छुपाएँ और ना ही कोई ऐसे विवरण दें जो कि मिथ्या हो, जिनमें हेराफेरी हो, जाली हो। लिखित परीक्षा / साक्षात्कार के समय यदि किसी उम्मीदवार को निम्न लिखित मामलों में दोषी पाया जाता है :

(1) परीक्षा दौरान अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए या
(2) प्रतिरूपण (इम्पर्सोनेटिंग) करता है या किसी व्यक्ति द्वारा कराता है या
(3) परीक्षा केन्द्र में दुर्व्यवहार करता है या परीक्षा हॉल से प्रश्न पत्र एवं/या उत्तर पुस्तिका (अथवा उसका कोई भाग) लेकर बाहर चला जाता है या
(4) चयन में अपनी उम्मीदवारी को लेकर किसी भी प्रकार के अनियमित या अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या
(5) अनुचित साधनों से अपनी उम्मीदवारी हेतु समर्थन प्राप्त करता है,

ऐसे उम्मीदवार आपराधिक कार्रवाई होने के साथ ही साथ निम्न कार्यवाही के भी पात्र होंगे :–

(क) उस परीक्षा से उसे अपात्र कर दिया जावे, जिसमें वह उम्मीदवार है।
(ख) बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से या भर्ती प्रक्रिया से उस पर स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए रोक लगा दी जावे।
(ग) यदि वह बैंक में नियुक्त हो चुका है, तो उसकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

बैंक उम्मीदवार के प्रति उत्तरों का अन्य उम्मीदवारों के उत्तरों से समानता का पैटर्न पता लगाने के लिए विश्लेषण करेगा और निर्धारित प्रक्रिया के तहत यह संदेह पैदा होता है कि आपस में नकल हुई है और प्राप्त अंक सही/वैध नहीं हैं, तो बैंक के पास यह अधिकार सुरक्षित रहेगा कि वह उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दे।

11. <u>आवेदन पत्र प्राप्त की अंतिम तिथि</u> :

समस्त संदर्भो में पूर्ण आवेदन पत्र दिनांक **28.12..2009 को या उसके पूर्व प्राप्त हो जाना चाहिए** । अंतिम तिथि के बाद प्राप्त किसी भी आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

ट्रांजिट में आवेदन पत्र के गुम हो जाने या निर्धारित तिथि तक आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त होने के लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होगा।

12. लिखित परीक्षा हेतु बुलावा पत्र :

प्रत्येक पात्र उम्मीदवार को उसके आवेदन पत्र में दिए गए पते पर बुलावा पत्र साधारण डाक द्वारा भेजा जाएगा। अधिकारी संवर्ग के पदों हेतु आवेदित पात्र उम्मीदवार को यदि दिनांक **15.02.2010** तक और लिपिकीय संवर्ग के पद के उम्मीदवार को दिनांक **22.02.2010** तक यदि बुलावा पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो ऐसे उम्मीदवार अपने नाम एवं पते के साथ प्रत्येक पद के आवेदन पत्र की छाया प्रति के साथ डिमाण्ड ड्राफ्ट आदि के विवरण सहित निम्नलिखित पते पर डुप्लीकेट बुलावा पत्र प्राप्त हेतु संपर्क करें।

डुप्लीकेट बुलावा पत्र अधिकारी संवर्ग के उम्मीदवारों को दिनांक **20.02.2010** को एवं लिपिकीय संवर्ग के उम्मीदवारों को दिनांक **27.02.2010** को बैंक के प्रधान कार्यालय में निम्न पते पर उपलब्ध कराये जाएंगे :–

बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक,
प्रधान कार्यालय,
सिटी प्लाजा, प्रथम तल,
वैशाली नगर,
अजमेर – 305 004
फोन 0145 – 2642621, फेक्स 0145–2642603

13. आवेदन पत्र का प्रारूप

आवेदन पत्र का प्रारूप बैंक की **वेबसाइट www.brgb.co.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

स्थान : अजमेर
दिनांक : 10.11.2009

अध्यक्ष

<u>नोट</u> : किसी भी प्रकार की मुद्रण /अनुवाद में त्रुटि होने पर बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। किसी भी भाषा विवाद/अनुवाद आदि की व्याख्या हेतु इस विज्ञापन का अंग्रेजी संस्करण जो, Employment News में प्रकाशित है, अधिकृत माना जा सकेगा।